आदेश का क्रमांक / तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई पर टिप्पणी
	अभिलेख उपस्थापित। खास सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। जो अभिलेख मे संलग्न है। जमाबंदी रैयत रघुनन्दन सिंह पिता रामवचन सिंह के द्वारा प्रश्नगत भूमि से संबंधित साक्ष्य के रूप में कोई भी कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है। साथ ही राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन (चेकलिस्ट) प्राप्त है , जो बिन्दुवार निम्नवत हैः— **खतियान की स्थितिः**— मौजा जलंगा, थाना नं0 51 के सर्वे खतियान में खाता सं0 82 गैरमजुरूआ खास जंगल दर्ज है। **पंजी ii की स्थिति** :— मांग पंजी ii पृष्ट सं0 162 भाग सं0 I में दर्ज जमाबंदी रैयत रघुनन्दन सिंह पिता रामवचन सिंह के नाम से खाता सं0 82 रकबा 55.46 एकड़ दर्ज है पंजी II में जमाबंदी का कोई आधार दर्ज नहीं है। पंजी II रैयत का दखल कब्जा नहीं है। पंजी II में रसीद निर्गत नहीं है। राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदनानुसार पंजी II के पृष्ट सं0 162 भाग I पर दर्ज खाता सं0 82 रकबा 55.46 एकड़ भूमि का साक्ष्य के रूप में अधिकारिक दस्तावेज उपलब्ध नही होने के कारण उक्त भूमि की जमाबंदी रद्द करने की अनुशंसा की गई है। अतः राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर मौजा जलंगा थाना नं0 51 खाता सं0 82 रकबा 55.46 एकड़ भूमि को BLR ACT 1950 की धारा 4 (h) के तहत रद्द करने की अनुशंसा की जाती है। अभिलेख अग्रेतर कार्रवाई हेतु भूमि सुधार उप समाहर्ता खूँटी को भेजे। लेखापित संशोधित। 29/10/20 29/10/20 अंचल अधिकारी अंचल अधिकारी कर्रा। कर्रा।	